श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

(स्थाई लोक अदालत)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाईमाधोपुर

अब्दुल हासिब पुत्र अब्दुल खालिद उम्र 45 साल, पेशा–वकालत, निवासी–मनिहारी मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर – परिवादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,सवाईमाधोपुर
2. श्रीमान आयुक्त महोदय, नगर परिषद सवाईमाधोपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेण्ट एण्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSRDC)सवाईमाधोपुर।
4. संवेदक, एलीवेटेड रोड शहर सवाईमाधोपुर जरिये अधीक्षण अभियंता, राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेण्ट एण्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSRDC)सवाईमाधोपुर। –विपक्षीगण

<u>परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 22–बी एल,एस.एस.आर.एक्ट</u>

<u>जनउपयोगी सेवा के तहत बरसाती लटिया नाले को प्राकृतिक नाला के मौलिक स्वरूप में लाये जाने के लिए नाले की साफ–सफाई कर गहराई करने व अन्य अवरोधों को हटाये जाने के क्रम मे।</u>

श्रीमानजी,

<u>सेवामें परिवाद पत्र परिवादी की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–</u>

1. यह कि प्रार्थी परिवादी शहर सवाईमाधोपुर का रहने वाला है और पेशे से अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। जबकि विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रशासनिक अधिकारीगण है तथा विपक्षी संख्या 4 द्वारा एलीवेटेड रोड भैरव दरवाजा के पास से राजबाग सिटी बस स्टेण्ड तक सवाईमाधोपुर का सबसे बडा प्राकृतिक बरसाती लटिया नाला पर एलीवेटेड रोड बनाने का संवेदक है।

2. यह कि पुराना शहर चारों तरफ से पहाडों से घिरा हुआ है और रणथम्भौर नेशनल पार्क के जंगल से जुडा हुआ है, राजबाग वन चौकी के पास के एक बडा एनीकट बना हुआ है जिसकी भराव क्षमता भी अत्यधिक है इसके अलावा एक छोटा एनीकट भी बनाया हुआ है, उसके बाद शहर के राजबाग एरिया, हम्माल मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला, रैगर मोहल्ला, मनिहारी मोहल्ला, कुम्हार मोहल्ला, कोली मोहल्ला, कागजी मोहल्ला व अन्य क्षेत्रों के सहारे सहारे कदीमी सबसे बडा प्राकृतिक लटिया नाला से सूरवाल बॉघ में जाकर मिलता है, उक्त बरसाती लटिया नाला की पूर्व में पुराना शहर से पुलिस थाना कोतवाली तक 10 फिट गहराई थी, उसके आगे सूरवाल बॉध तक उक्त बरसाती नाला की गहराई करीब 15 से 20 फिट तक अलग अलग हिस्सो में थी। पुराना शहर के अंसारी मोहल्ला की पुलिया से बरसों पूर्व टेक्टर्स, टक इत्यादि आसानी से निकलते थे, अब मौके पर विपक्षी संख्या–4 ने विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की उदासीनता और लापरवाही की वजह से एलीवेटेड रोड बनाये जाने के लिए ढेर सारे पत्थर, मिटटी का मलबा पटक दिये जाने से बरसाती पानी का पर्याप्त निकास नहीं होने की वजह से आबादी क्षेत्र में पानी आ जाने से जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, राजबाग बस स्टेण्ड से सूरबाल बॉघ तक पडे मलबा की साफ सफाई जे.सी.बी. से

उपरोक्तानुसार गहराई करवाई जाकर लटिया नाला को मूल प्राकृतिक लटिया नाला के स्वरूप में लाये जाने से आमजन को राहत मिलेगी।

3. यह कि मद संख्या 2 में वर्णित लटिया नाला की विपक्षी संख्या 2 ने भू–माफियाओं से मिलकर अवैध रूप से आवासीय पटटे जारी कर दिये है, लटिया नाला क्षेत्र में आने वाले सभी पटटाग्रहिताओं को पर्याप्त मुआवजा राशि देकर नाला क्षेत्र को खाली करवाया जावे, जिस प्रकार जयपुर के अमानीशाह पर बसे रिहायशी मकानों का नियमानुसार हटया गया है उसी कम में उक्त बरसाती लटिया नाले से उक्त रिहायशी मकानों को हटाया जावे। जिससे उक्त बरसाती नाले की चौडाई को प्राकृतिक स्वरूप मे लाया जा सके तथा बरसाती पानी बिना रूकावट के निकल सके तथा दोनो और सुरक्षा दीवारें बनाई जावे जिससे भविष्य में अतिकमण की संभावना पर पूर्णतया अंकुश लगाया जा सके।

4. यह कि बरसाती पानी का निकास आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर जान–माल का गत दो वर्षो से नुकसान कारित हो रहा है। इसलिए शहर स्थित राजबाग से सूरवाल बॉध तक उक्त लटिया नाले के सहारे किये गये तमाम अतिकमणों को चिन्हित कर अतिकमण मुक्त कराया जावे। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्राकृतिक बरसाती नाला, नदी, इत्यादि पर अवरोध, अतिकमण नही किया जा सकता है।

5. यह कि विपक्षी संख्या 2 ने पुराना शहर व उसके आस पास के क्षेत्र से निकलने वाले सम्पूर्ण कचरे को भैरू दरवाजा के पास अवैध तरीके से डंपिंग यार्ड बना दिया है। इसी प्रकार से उक्त लटिया नाले में कई स्थानों पर डंपिंग यार्ड बना दिये है। जिससे बरसाती पानी का निकास होने में अवरोध

कारित होता है, उक्त लटिया नाले पर बनाये गये अवैध तमाम डंपिंग यार्ड को हटवाया जावे।

6. यह कि विपक्षी संख्या 3 व 4 द्वारा भैरव दरवाजा हटवाडा से राजबाग बस स्टेण्ड तक निर्माणाधीन एलीवेटेड सडक के लिए उक्त बरसाती नाले पर खुदाई करके मलबा को वहीं एकत्रित कर दिया है और अपने वाहनों, जे.सी.बी. टेक्टर्स, टक, लोडिंग वाहनों के आवागमन के लिए आबादी की सडक एवं बरसाती नाले के प्राकृतिक स्वरूप को पूर्णतया मौके पर बदल दिया है, जिससे बरसाती पानी के निकास में अवरोध कारित होने पर शहर वासियों द्वारा विपक्षी संख्या 1 , 3 व 4 को गत वर्ष 19—08—2024 को बरसात का पानी आबादी के बडे हिस्से में 3—4 फिट तक प्रवेश करने से कई कच्चे पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गये, घरों में पानी के प्रवेश करने से लाखों रूप्यो का नुकसान कारित हुआ, विपक्षीगण की लापरवाही उपेक्षापूर्ण कार्य की वजह से इस साल पुनः बरसाती पानी के पूर्वानुसार विपक्षी संख्या 3 व 4 द्वारा आवागमन के लिये उक्त नाले में बनाये गये रास्ते की वजह से दिनांक 30—07—2025 की मध्यरात्रि को भारी बारिश/अतिवृष्टि हो जाने से उक्त बरसाती नाले में भारी उफान आ जाने से उक्त लटिया नाले के सहारे बसे मोहल्लों में बरसात का पानी तेजी से घरों में प्रवेश कर गया, कई कच्चे पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया, लोगों को छतों पर भीगते हुए अपनी जान को बचाने को मजबूर होना पडा, दुकानों और मकानों में बरसात का पानी करीब 5 से 6 फिट तक प्रवेश कर जाने से अत्यधिक तबाही कर दी, विपक्षीगण की लापरवाही से और जानबूझकर स्थानीय लोगों के जीवन को खतरे में डालने का कृत्य किया है, जिसका जीवंत उदाहरण विपक्षी संख्या 4 के विरूद्व पुलिसथाना कोतवाली में प्रकरण संख्या 226/2025 दिनांक

19–07–2025 को अन्तर्गत धारा 125, 106/1 बी.एन.एस. में दर्ज है। उक्त प्रकरण मे अंकितानुसार सवेदक की गलती, लापरवाही और उपेक्षापूर्ण कार्य की वजह से एक बच्चे की मृत्यु हुई है।

7. यह कि उक्त लटिया नाला के दोनो तरफ मजबूत सुरक्षा दीवारें बनाये जाने और उसके आस पास सौन्दर्यकरण किये जाने से स्थानीय पर्यटन को रिवर फ्रण्ट की तर्ज पर बढावा मिलेगा तथा जलस्तर में भी बढोतरी होगी।

8. यह कि प्रार्थी परिवादी का परिवाद जनउपयोगी सेवा से सम्बंधित होने के कारण माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

9. यह कि प्रार्थी परिवादी का परिवाद पत्र निम्नानुसार स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को आदेशित किया जावे कि :–

A– सवाईमाधोपुर के सबसे बडे प्राकृतिक बरसाती लटिया नाला की शहर सवाईमाधोपुर स्थित सिटी बस स्टेण्ड से पुलिस थाना कोतवाली की पुलिया तक 10 फिट गहराई तक खुदाई कर मलबे को साफ किया जावे तथा पुलिस थाना कोतवाली से सूरवाल बॉध तक खुदाई करवाकर नाले की गहराई करीब 15 से 20 फिट तक मौलिक स्वरूप अनुसार करवाई

B– विपक्षी संख्या 2 ने भू–माफियाओं से मिलकर अवैध रूप से प्राकृतिक बरसाती लटिया नाले से सटे भाग पर कई हिस्सों में आवासीय पटटे जारी किये है, उक्त लटिया नाला क्षेत्र में आने वाले सभी पटटाग्रहिताओं को पर्याप्त मुआवजा राशि देकर नाला क्षेत्र को खाली करवाया जावे।

C–विपक्षी संख्या 2 द्वारा अवैध रूप से भैरव दरवाजा के पास व अन्य हिस्सों में बनाये गये मलबा को एकत्रित करने के लिए बनाये गये सभी डंपिंग

यार्ड्स से कचरा हटवाया जावे तथा उक्त बरसाती नाले में आयन्दा कचरा एकत्रित नहीं करने के लिए आदेशित फरमाया जावे।

D– विपक्षी संख्या–4 ने विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की उदासीनता, लापरवाही और उपेक्षापूर्ण कृत्य की वजह से भैरव दरवाजा के पास से राजबाग सिटी बस स्टेण्ड तक बनाये जा रहे एलीवेटेड रोड ढेर सारे पत्थर, मिटटी का मलबा अपने वाहनों के आवागमन के लिए बनाये जाने से बरसाती पानी का पर्याप्त निकास नहीं होने से जंगल का पानी आबादी क्षेत्र में आ जाने से आबादी के बडे हिस्से के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है,इसलिए उक्त आवागमन के लिए बनाये गये रास्ते को साफ करवाया जावे, एवं संवेदक के वाहनों के लिए बिना मलबा के भी निर्धारित गहराई 10 फिट तक खुदाई होने से सुविधाजनक आवागमन हो सकेगा।

E– शहर सवाईमाधोपुर के सबसे बडे बरसाती लटिया नाले को उसके प्राकृतिक स्वरूप में लाये जाने के लिए नाले के दोनो ओर मजबूत सुरक्षा दीवारें बनाई जावें जिससे अतिक्रमणों पर पूर्णतया अंकुश लगाया जा सकेगा तथा सुरक्षा दीवारों के आसपास सौन्दर्यकरण किये जाने से पर्यटन को बढावा मिलेगा तथा शहर के जलस्तर में बढोत्तरी होगी।

E– आमजन के सुरक्षार्थ एवं सरंक्षणार्थ माननीय न्यायालय उचित समझे अनुतोष दिलाया जावे।

दिनांक 06–08–2025 परिवादी

अब्दुल हासिब पुत्र अब्दुल खालिद
पेशा–वकालत, निवासी–मनिहारी मोहल्ला
शहर सवाईमाधोपुर